राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प. 15(4)राज-6/2000/17 जयपुर, दिनांक:- 13.10.2000

-: परिपत्र :-

विषय:- अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों के आवंटन /नियमन से संबंधित भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों के लिए काश्तकारी अधिनियम एवं भू-राजस्व अधिनियम में उनके हित में प्रावधान किये गये है जिनके अन्तर्गत उन्हें भूमि का आवंटन/नियमन किया जाता है एवं उनकी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण या अवैध हस्तांतरण न हो, इसकी भी व्यवस्था है । अत: निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर उनकी समीक्षा निरन्तर की जानी चाहिए :-

1. विभिन्न आवंटन नियमों में कृषि भूमि का आवंटन/नियमन करना ।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जों का सर्वेक्षण कर काश्तकारी अधिनियम की धारा 182 बी एवं सी के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया से उनकी बेदखली करना ।
3. इन वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा शीघ्र दिलाया जाये। इस तरह का विवरण तैयार किया जाये कि भूमि का आवंटन कब किया गया था एवं कब उसका भौतिक रूप से कब्जा दिया गया ।
4. आवंटित भूमि का नामान्तरण शीघ्र खोला जाये ।
5. इन वर्ग के व्यक्तियों की भूमि से संबंधित शिकायतों परतुरन्त सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाये ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही शीघ्र की जाये एवं उनकी समीक्षा आप अपने स्तर पर प्रत्येक माह करेंगे जिसकी सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग को भिजवायेंगे ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव